

HRA Sayette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 10]

नई विल्ली, शनिवार, मार्च 9, 1974/फाल्गुन 18, 1895

No. 101

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 9, 1974/PHALGUNA 18, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सर्क।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II -- खण्ड 3-- उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के श्रन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण मियम जिनमें साधारण प्रकार क झावेश, उपनियम झावि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

विधि, न्याच और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्च विभाग) (कम्पनी विधि वोर्ड)

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1974

सा. का. नि. 251.—भारत सरकार कम्पनी कार्य विभाग की अधिसचना सं. सा. का. नि. 443 (ङ) तारीख 18 अक्तवर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परन्तक दुवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु.ए. तथा भारत सरकार के विल्ल मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिस्चना सं, सा. का. नि. तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना (जिसे इसमें पश्चात् "अधिम्चना" कहा गया है") में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतददवारा यह निद्देश देता है कि मेंसर्ग अमीन एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात "कम्पनी" कहा गया है") के मामलं में , जो एक त्रियेशी कम्पनी हैं. उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षायें जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी के अपने लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना दवारा उपान्तरित की गई हैं, निम्नलिखिन अन्य अपवादों तथा उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगी, अर्थात् :--

यदि 31 मार्च, 1973 की विस्तीय वर्ष समाप्ति की बाबत कम्पनी, भारत में सम्मिचत कम्पनी रिजिस्ट्रार की, 31 मार्च, 1973 की वर्ष समाप्ति के विश्व तुलन-पत्र की तीन प्रतियां, थथा उपलन्ध होने पर प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपवन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समका जायेगा।

[फाइल सं. 14/9/73-सी. एल. 6]

कम्पनी विधि बोर्ड के आदंश से, अशोक नाथ, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

(Company Law Board)

New Delhi, the 22nd February, 1974

G.S.R. 251.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. G.S.R. 443(E) dated the 18th October, 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereinafter referred

	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees		Method of rectt. whether by direct rectt, or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	deputation/transfer grades		Cirsumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.	
-	8 Noi Applicable	9 2 years	100% by direct recruitment. The person selected will be on contract/tenure for 5 years, which may be extended by the Central Government for a further period of 5 years (subject to normal rule of superannuation). The contract/tenure system shall not, however, apply in the case of a departmental officer selected by the Union Public Service Commission for the post.	Not Applicable	12 Not Applicable	As required under the Union Public Servico Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.	

[File No. F. 3/5A(11)/73-RR] [File No. 16 (34)/73-Sur. I]

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1974

सा. का. नि. 255.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छे व 309 के परन्तुक द्वारा प्रदृत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय सर्वेक्षण, नक्शा पुनरूत्पादन कार्यालय (सहायक प्रबंधक) भर्ती नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित निधम बनाते हैं, अर्थात् :--

- 1. (1)इन नियमों का नाम भारतीय सर्वेक्षण, नक्शा पुनरू-त्पादन कार्यालय (सहायक प्रबंधक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 हैं।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय सर्वेक्षण, नक्शा पुनरूत्पादन कार्यालय (महायक प्रबंधक) भर्ती नियम, 1966 से उपाबद्ध अनुसूची के स्लंभ 11 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रक्रिक्ट रखी जाएगी. अर्थात:—

"प्रोन्नति

एंसे तकनीकी सहायक, पुनरूत्पादन (चयन श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो, जिसके न होने पर एंसे तकनीकी सहायक, पुनरूत्पादन (चयन श्रेणी) जिन्होंने साधारण श्रेणी और चयन श्रेणी में दनों को मिलाकर दस वर्ष सेवा की हो।"

[एफ. 16/52/69-सर्वे. 1] टी. एल. विश्वनाधन, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 1974

G.S.R. 255.—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Map Reproduction Office of the Survey of India (Assistant Manager) Recruitment Rules, 1966, namely:—

- (1) These rules may be called the Map Reproduction office of the Survey of India (Assistant Manager) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule annexed to the Map Reproduction Office of the Survey of India (Assistant Manger) Recruitment Rules, 1966, in column 11, for the existing entry the following entry shall be substituted, namely:—

"Promotion

Technical Assistants, Reproduction (Selection Grade) with 3 years' service in the grade, failing which Technical Assistants, Reproduction (Selection Grade) having ten years' service both in the ordinary grade and selection grade taken together."

[No. F. 16/52/69-Sur. I] T. L. VISWANATHAN, Under Secy.

सूचना झीर प्रसारग मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1974

सा॰ का॰ नि॰ 256.--संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी 2 पद) भर्ती विनियमावली, 1962 में श्रतिरिक्त संगोधन करने के लिए एनद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थीत्:--

- 1. (1) इन नियमों को भ्राकाणयाणी (श्रेणी 2 पद) भर्ती नियमावली, 1974 कहा जा सकेगा।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपन्न में प्रकाशित होने की नारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. ब्राकाणयाणी (श्रेणी 2 पद) भर्ती नियमावली, 1962 की ब्रनुसूची में कम संख्या 23 तथा इससे सम्बन्धित प्रविध्ठियों के उपरान्त निम्नलिखित प्रन्तः स्थापित किया जाएगा, प्रयत्-

564	THE GAZETTI	E OF INDIA	: MA	RCH 9, 19	74/PHALG	UNA 18, 189	95	[PART II—
				ग्र नु सूची	-			
1 2		3		4	5	6	7	8
'24. जूनियर विश्लेष (कार्यग्रह्मययन)	શ્રે	ात्य केन्द्रीय सेवा भी-2 राजपित लिपिक वर्गीय	590 – व 800–व	5-500-30- o र o - 30- (o र o - 30- 35-90 ह्वये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता
9	10		11		12	13	14	
नागू नहीं हीना	लागू नहीं होना	प्रतिनियुक्ति स्थानान्सरण ठेके पर नियु		प्रतिनियुक्ति प्र नियुक्ति नियुक्ति :	: स्थानान्तरण या टे	केपर लागूनह	विनियः	संघ लोक-सेवा (परामर्श से छूट न,) 1958 के त अपेक्षित है।"
				के ग्रधीन पद पर सार्वजनिक कक्ष ग्रेड ऐसे श्रधिय (क) किसी वि	र या राज्य सर किसी भी श्रेणी काम करने वाले ' क्षेत्र के उपक्रमों में में काम करने कारियों में से जो	-2 के प्रथवा सम- वाले ∷		
				हों, (ख) किसी प्र समकक्षा या किसी यासमक	(जिपन्नित पद पर कों में स्यूनतम 5 व ो अराजपन्नित पर को ग्रेडों में न्यूनत प्रमुभव रखते हों,	्या पॅका । पर म ৪		
				संस्थान, संस्थान कोर्स में संस्थान	य प्रशिक्षण एवं रक्षा कार्य प्रश के वर्कस्टडीप्रेक्टी प्रशिक्ष या किसी में समकक्ष प्र पूर्वक पूराकर चुके	त्र्ययन सनर्जे ऋन्य शक्षण		
				कार्ये क्र पञ्चति य या भा भन्य ऽ धियों बे	या प्रियम या संगठन विश्लेषण यासा नरेशन्स रिसर्ष बन्ध ध्रनुसंधान लागू करने का यर्ष का ध्रनुभव	् एवं क्षेत्रको तथा प्रवि- न्यून-		
					यतः प्रतिनियुक्ति प्रवधि ६ वर्षे से			

नहीं होगी)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi 1, the 16th February, 1974

G.S.R. 256—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962 after serial No. 23 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

1	2	3	4	5		6	7	8	
	nior Analyst ork Study)	5	General Central Service, Class II Gazetted Non- Ministerial.	Rs. 400-25- 30-590-EB- 800-EB-30- 35-900.	-30-	Not applicable	Not applicable	Not appli	cable
9		10	11			12		13	14
9 Not applicable		Not applicable	OF	ξ	men Officer Center Center Pub have (i) a let (ii) su the Center C	t on contract. from any Clas tral Government nents or equivalic Sector Und to :— University degrant; taminimum of 5 y tzetted postored taminimum of non-gazetted o to y taminimum of non-gazetted o to y taminimum of non-gazetted o to y taminimum of taminimum of non-gazetted o taminimum of	r's experience in fork Study or or- lods or analytical erations research oment research	cable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958".
					(Periodina)	d of deputation rily not exceedin	or contract or- g 6 years).		

[F. No. 1/15/73-B(A)] M. L. TANDON, Under Secy.

सिंबाई ग्रीर विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1974

सां० का० कि० 257.—राष्ट्रपति, संविधान के अमुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारत सरकार के सिचाई और विद्युत् मंत्रालय की प्रधिमूचना मं० सा०का०नि० 231, तारीख 27 जनवरी, 1966 के साथ प्रकाशित फरक्का बैरेज परियोजना (वर्ष 1 और वर्ष 2 पद) भर्ती नियम, 1966 में और मंशोधन करने के लिए निम्नलिखिल नियम बनाते हैं, अर्थात :—

संक्षिप्त नाम मौर प्रारंभ 1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फारक्का बैरेज परियोजना (वर्ग 1 मौर वर्ग 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है।

(ii) ये नियम राजपन्न में प्रकाशम की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन — फारक्का बेरेज परियोजना (वर्ग 1 वर्ग 2 पर्व) भर्ती नियम, 1966 में, अनुसूची में, (1) कम सं० 6 और जससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित कम संख्याएं और प्रविष्टियों रखी जाएंगी, श्रर्थात् :--